

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27649 वर्ष 2026**

चुन्ने खान उर्फ चुन्ना

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार मिश्र

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 66**माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल**

1. प्रथम शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के. तिवारी द्वारा आज न्यायालय में दायर वकालतनामा को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार मिश्रा, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. तिवारी, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. यह जमानत याचिका मामले संख्या 156/2026, बीएनएस की धारा 80(2), 85 और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के तहत, पुलिस स्टेशन जवान, जिला अलीगढ़ में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का ससुर है, जिसने घरेलू मामलों पर मामूली विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदक को केवल मृतका का ससुर होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि उसने मृत्यु से पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतका को प्रताड़ित किया था। आवेदक और परिवार के अन्य सदस्यों पर सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाकर उन्हें झूठा फंसाया गया है। यह निवेदन किया जाता है कि विवाह के 7 वर्षों के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होने पर दहेज हत्या का अनुमान लगाने के लिए, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि मृतक को मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है। अंत में निवेदन किया जाता है कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 3 जुलाई 2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
5. इसके विपरीत, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मृतक का ससुर है, तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में दिए गए फैसले और इस न्यायालय के **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** मामले में जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **चुन्ने खान उर्फ चुन्ना** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

10. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को **जेल अधीक्षक, अलीगढ़** के माध्यम से ई-मेल या ई-कारागार पोर्टल पर तथा ट्रायल कोर्ट को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल** मामले में दिए गए **आदेश के अनुपालन में हो, जिसका निर्णय 31.01.2023 को स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(आपराधिक) संख्या 4/2021 में दिया गया था और जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था, साथ ही पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में दिए गए आदेश के अनुपालन में हो, जिसका निर्णय 29.05.2026 को दिया गया था।

14. यदि कोई आवेदन हो, तो उसका निपटारा हो चुका है।

10 अगस्त, 2026

एस ए

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)